# राजस्थान सरकार
## राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर ।
Tel./Fax.0141-2709319 Email – rscpcr@rajasthan.gov.in


**क्रमांकः एफ 14( )/बाल आयोग/स्वास्थ्य प्रकोष्ठ/21–22/Spl-4** **दिनांक–13.05.2021**

**श्रीमान् आयुक्त,**
**बाल अधिकारिता विभाग,**
**जयपुर।**

**जिला कलक्टर,**
**समस्त।**

**विषय : कोविड–19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा हेतु गाईडलाईन/सुरक्षात्मक उपाय।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर है जिसने सम्पूर्ण भारत में अत्यधिक चिन्ताजनक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं एवं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई है कि बच्चों में भी संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान में कोरोना रोकथाम हेतु टीकाकरण की व्यवस्था बच्चों हेतु नहीं की गई है, इस स्थिति में तीसरी लहर से बच्चों में संक्रमण ना हो इसके लिए अभी से उपाय करने होगें। इस संदर्भ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के विनाशकारी परिणामों से बच्चों को बचाने हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की फुल कमीशन मिटिंग में निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया। अतः कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों में संक्रमण रोकने हेतु आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपायों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करावें–

1. आयोग की माननीया अध्यक्ष महोदया श्रीमती संगीता बेनीवाल के निर्देशानुसार **बाल आयोग के माननीय सदस्यों एवं जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा जिले के शिशु अस्पतालों/सामान्य अस्पतालों के शिशु वार्ड में वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, चिकित्सक/नर्सिंग कर्मी जैसी आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण करेंगें एवं समस्त जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर कमेटी गठित कर इन अस्पतालों में बच्चों से संबंधित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें** ताकि यदि बच्चों में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो अस्पतालों मे सुविधाओं का अभाव ना हो।

2. सभी जिलों में बच्चों से संबंधित सभी संस्थाओं में यथा बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों, छात्रावासों आदि में पल्स ऑक्सीमीटर क्रय किया जाये ताकि संक्रमण की स्थिति में बच्चों के गंभीर स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही समय पर उचित इलाज मिल सके।

3. सभी जिलों में उपखण्ड/ब्लॉक/ग्राम समिति स्तर पर बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाये जायें ताकि यदि कोई बच्चा संक्रमित होता है तो उसे वहां भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके एवं सामान्य कोविड सेंटर में अत्यधित संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके।

4. उक्त डेडिकेटेड कोविड सेंटर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपयोग की जा सके।

5. सभी जिलों में बच्चों से संबंधित सभी संस्थाओं में यथा बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों, छात्रावासों आदि में पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं सेनिटाईजर की व्यवस्था हो।

6. उक्त संस्थाओं में समय–समय पर बच्चों के कमरों/शौचालयों/रसोईघर आदि स्थानों को सेनिटाईज किया जाये।

7. बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने एवं हाथ सेनिटाइज करने के बारे में बताएं। प्रत्येक बच्चे को एक पॉकेट सेनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाये ताकि वह अपने साथ रख सके और जरूरत पड़ने पर उपयोग करे।

8. उक्त संस्थाओं में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना से संबंधित गंभीरता से जाँच हो उसके पश्चात ही उसे अन्दर प्रवेश करवाया जाये।

9. इन संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को बिना मास्क प्रवेश ना दिया जाये।

10. बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक मजबूत करने हेतु उन्हें संतुलित भोजन एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल इत्यादि उपलब्ध करवाया जाये।

11. बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से वो सभी वैक्सीन्स लगवाएं जो उसे वायरस और बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारियों से बचाएं। बच्चों का सही समय पर और सही तरीके से वैक्सीनेशन कराया जाए तो उन्हें बहुत सारी मौसम जनित बीमारियों से बचाया जा सकता है साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन का विधिवत रिकॉर्ड संधारित किया जाना चाहिए।

12. बच्चों को मास्क की उपयोगिता, मास्क क्यों पहनना जरूरी है और यह कोरोना से हमें किस तरह बचाता है, जैसी सभी बातों को समझाने हेतु व्यवस्था की जावे।

13. सभी जिलों में उपखण्ड/ब्लॉक/ग्राम समिति स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि में समय समय पर बच्चों के चिकित्सकीय परीक्षण करवाये जाये ताकि संक्रमण फैलने से पूर्व ही उसे रोका जा सके।

**(महेन्द्र प्रताप सिंह)**
**R.A.S.**
**सदस्य सचिव**
**राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग**
**राजस्थान, जयपुर**